Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 334 ▫ रायपुर, सोमवार 29 दिसम्बर 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

भारत माला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला

प्रदेश में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई

रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर छापेमारी

रायपुर, 29 दिसंबर (हाईवे चैनल)। भारत माला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार सुबह प्रदेश की राजधानी रायपुर और महासमुंद में छापा मारा है. यह कार्रवाई हरमीत खनूजा समेत उनके सहयोगियों और संबंधित अधिकारियों के ठिकानों पर की गई है. ईडी अधिकारियों की टीम मौके पर दस्तावेजों की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, रायपुर और महासमुंद के करीबन 9 ठिकानों पर छापा पड़ा है. ईडी की कुल 7 अलग-अलग टीमों ने तड़के सुबह एक साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है. फिलाहाल ईडी अधिकारी मौके पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल अपकरणों की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महासमुंद में कारोबारी जशबीर सिंह बग्गा के बसंत कॉलोनी स्थित घर में छापेमारी की गई है. वह होंडा शोरूम के मालिक हैं. ईडी की टीम कारोबारी के घर दस्तावेजों की जांच कर रही है. दो गाड़ियों में ईडी अधिकारियों की टीम पहुंची है।

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत राजधानी रायपुर से विशाखपट्टनम तक 950 कि.मी. सड़क निर्माण किया जा रहा है. इस परियोजना में रायपुर से विशाखापटनम तक फोरलेन सड़क और दुर्ग से आरंग तक सिक्स लेन सड़क बनना प्रस्तावित है. इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने कई किसानों की जमीनें अधिग्रहित की हैं. इसके एवज में उन्हें मुआवजा दिया जाना है, लेकिन कई किसानों को अब भी मुआवजा नहीं मिल सका है. विधानसभा बजट सत्र 2025 के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद इस मामले में जांच का फैसला लिया गया। भारतमाला परियोजना के तहत विशाखापट्टनम रायपुर तक बन रही कॉरिडोर में एसडीएम निर्भय साहू और अन्य राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भूमाफियों को कई गुना ज्यादा मुआवजा राशि दिलवाया है. इससे सरकार को 600 करोड़ की हानि हुई है. मामला संज्ञान में आने पर मार्च में तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू, दो तहसीलदार और तीन पटवारी को निलंबित कर दिया गया था. निलंबन के समय निर्भय कुमार साहू जगदलपुर नगर निगम आयुक्त थे. सरकार ने घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपा है. ईओडब्ल्यू आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

ईडी की अंतिम चालान में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर आशीष श्रीवास्तव का नाम

- शराब घोटाला मामला
- निलंबन की सुगबुगाहट! 31 अधिकारियों के खाते भी सीज

रायपुर, 29 दिसम्बर (हाईवे चैनल)। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (श्वष्ठ) ने 29 हजार 800 पन्नों की चार्जशीट पेश की, जिसमें आबकारी विभाग के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर आशीष श्रीवास्तव का नाम जोड़ा गया है. ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं था. हालांकि अब आशीष श्रीवास्तव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि सचिव कम आयुक्त आर संगीता के तीन जनवरी को छुट्टी से लौटने के बाद कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा मामले में आरोपी बनाए गए 31 अधिकारियों के खाते को सीज कर दिया गया है. कुल 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की गई है. साथ ही उन अफसरों की खाते कार्रवाई में शामिल हैं, जिनकी पत्नियों के कहते में संदिग्ध ट्रांजेक्शन मिले हैं. बता दें कि ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में 29 अफसर आरोपी बनाए गए थे. इनमें से 22 को 7 जुलाई 2025 को सस्पेंड कर दिया गया था. बाकी 7 रिटायर हो चुके हैं. हाल ही में आयुक्त निरंजन दास को भी गिरफ्तार किया गया है.

90 करोड़ की हुई बंदरबांट- हंडी ने जांच में पाया है कि शराब घोटाले में अफसरों को करीब 90 करोड़ रुपए बांटे गए. इसमें पूर्व आयुक्त निरंजन दास को 18 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई. इकबाल खान को 12 करोड़, नोहर सिंह ठाकुर को 11 करोड़, नवीन प्रताप सिंह तोमर को 6.7 करोड़, राजेश जायसवाल को 5.79 करोड़, अनिमेष नेताम को 5.28 करोड़ और दिनकर वासनिक, गंभीर सिंह, अरविंद पटले, आशीष कोसम, अनंत सिंह, सौरभ बक्शी, प्रकाश पाल, गरीबपाल सिंह, मोहित जायसवाल को 2 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी गई. आशीष श्रीवास्तव को भी 54 लाख रुपए दिए जाने के सबूत ईडी को मिले हैं.

आय से अधिक संपत्ति का केस- अधिकतर अफसरों के पास आय से अधिक संपत्ति मिली है. इसलिए इन पर एक केस आय से अधिक संपत्ति का भी चलेगा. इन्हें यह बताना होगा कि इतनी संपत्ति कहां से आई. क्योंकि अधिकतर अफसरों का वेतन वर्तमान में 1 से 1.5 लाख रुपए महीने है. ऐसे में 20 साल की नौकरी में औसत एक करोड़ से अधिक वेतन नहीं पा सकते. जबकि कई अफसरों के पास 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति -मिली है.

इनकी संपत्ति अटैच कर चुकी है ईडी

क्र.	नाम	अचल संपत्ति	चल संपत्ति
1	नवीन प्रताप सिंह	2,44,92,905	36,19,524
2	गंभीर सिंह	1,14,15,275	49,76,561
3	मोहर सिंह ठाकुर	1,76,46,857	2,14,17,682
4	नीतू नोतानी	61,45,535	1,47,40,739
5	अरविंद पटले	1,34,06,000	92,12,729
6	प्रकाश पाल	65,41,000	70,30,866
7	अनंत कुमार सिंह	38,98,266	86,59,494
8	अश्वनी कुमार अनंत	34,08,000	8,86,559
9	अनिमेष नेताम	3,30,330	88,72,166
10	मंजूश्री केसर	34,88,000	97,17,938
11	जनार्दन सिंह कौरब	49,00,000	45,35,201
12	प्रमोद कुमार नेताम	45,23,300	28,92,454
13	देवलाल वैद्य	7,36,000	45,94,541
14	दिनकर वासनिक	45,19,582	69,12,733
15	बेदराम लहरे	48,51,000	8,42,799
16	इकबाल अहमद खान	15,61,650	49,89,359
17	मोहित जयसवाल	16,32,000	66,564
18	नितिन खंडूजा	81,81,897	3,04,391
19	जीतूराम मंडावी	30,54,324	40,85,030
20	अरलेखा राम सिदार		15,95,177
21	लखन लाल ध्रुव		1,36,51,570
22	आशीष कोसम		90,39,696
23	गरीबपाल सिंह		47,19,082
24	विजय सेन शर्मा		69,81,522
25	विकास गोस्वामी		84,595
26	सौरभ बक्शी		85,08,994
27	राजेश जायसवाल		14,11,529
28	सोनल नेताम		3,21,105
29	रामकृष्ण मिश्रा	—	9,33,717
30	आशीष श्रीवास्तव	54,00,000	
31	निरंजन दास	8,83,33,291	

अफसरों ने कराई थी करोड़ों की एफडी

क्र.	नाम	एफडी की राशि
1	अनंत सिंह	75.26 लाख
2	आलेख राम सिदार	3.90 लाख
3	देवलाल वैद्य	1.10 करोड़
4	गंभीर सिंह नेताम	40 लाख
5	सौरभ बक्शी	9 लाख

दुष्कर्म के दोषी विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट में आज उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मुकदमे पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत की पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई जाती है। अदालत के विस्तृत फैसले का इंतजार किया जा रहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो की उस याचिका पर सुनवाई की। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। इस मामले में अधिवक्ता अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार की ओर से दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। उन्नाव दुष्कर्म मामला देश के सबसे संवेदनशील और चर्चित मामलों में से एक रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद अहम माना जा रहा है।

एसएस प्लाजा में लगी भीषण आग, पद्मिनी ज्वेलर्स, बालाजी स्टील जलकर खाक

कोरबा, 29 दिसंबर (हाईवे चैनल)। कोरबा शहर के मध्य स्थित व्यावसायिक परिसर एसएस प्लाजा में सोमवार सुबह 6 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद देखते ही देखते पूरे प्लाजा में धुआं फैल गया और कई दुकानें इसकी चपेट में आ गए। मुख्य रूप से बालाजी स्टील, पद्मिनी ज्वेलर्स, बालाजी क्लॉथ भंडार और दो छोटी दुकानें जली है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है आग पर काबू पाने 5 घंटे का वक्त लग गया। 14 फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची थी। स्थिति को देखते हुए श्याम प्लाजा के आसपास की 50 से 70 दुकानें बंद करा दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग की तीव्रता अधिक होने के कारण राहत कार्यों में बाधा आई लेकिन अंत में आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के बाद प्लाजा परिसर और आसपास के इलाकों में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। स्थानीय व्यापारी और दुकानदार अपनी अन्य दुकानों को बचाने के लिए सामान बाहर निकालने में जुटे रहे। आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। शॉर्ट-सर्किट को आग का संभावित कारण माना जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी अधिक होने की आशंका जताई जा रही है।

सांसद ने किया स्थल का दौरा

कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने भी घटनास्थल पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात किया। उन्होंने कमियों का उल्लेख करते हुए उन्हें दूर करने का सुझाव दिया। कोरबा के एसएस प्लाजा में लगी भयानक आग ने व्यवसाईयों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। आग पर काबू पा लिया गया है।

आज सुबह की घटना

सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बचे केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू

बिलासपुर, 29 दिसंबर (हाईवे चैनल)। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू रविवार को सड़क पर हुए एक अप्रत्याशित हादसे में बाल-बाल बच गए। मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र बिलासपुर से रायपुर एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी चंदेली (दामाखेड़ा) के पास उनकी कार में एक लोहे की रॉड टकरा गई।

कार में लोहे की रॉड टकराने से शीशा क्षतिग्रस्त

जानकरी के मुताबिक, घटना के समय वाहन में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू के साथ उनके निजी स्टाफ और सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद थे। लोहे की रॉड वाहन के सनरूफ और मिरर क्षेत्र से टकराते हुए कार के शीशे को क्षतिग्रस्त कर गई। अधिकारियों के अनुसार, यदि वाहन में यह संरचना न होती, तो रॉड सीधे चालक या यात्रियों की ओर जा सकती थी। इस अप्रत्याशित हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, और सभी लोग सुरक्षित हैं। घटना के तुरंत बाद एस्कॉर्ट ड्यूटी में तैनात पुलिस बल ने लोहे की रॉड को जब्त कर लिया। प्रशासन ने कहा कि यह घटना आकस्मिक प्रतीत होती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और अन्य पहलुओं की जांच की जाएगी। मंत्री तोखन साहू ने भी पुष्टि की कि वाहन में सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं।